न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री युगान्तर शर्मा, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 71/2011
रज्जु दिनांक : 11.08.2011
निर्णय दिनांक :09.10.2018

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र दामा उर्फ दामोदर, जाति पारीक निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोपाल पारीक निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर।
3. सब रजिस्ट्रार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 9.10.2018

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी 1/2 हिस्से पर सम्वत 2011 के पूर्व से अपने पिता दामा उर्फ दामोदर से निरन्तर पीढी दर पीढी काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। प्रार्थी का पिता परिवार में छोटा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का पिता परिवार में बडा व मुखिया था परिवार की सारी लेन देन वही करता था तथा पढा लिखा व चतुर व्यक्ति था। इस कारण अपने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वरवक्त पर्चा सेटल मेन्ट उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का पर्चा अकेले अपने नाम करवा लिया जो कि गलत है, जबकि मौके पर उक्त आराजी पर प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी संख्या 1 का पिता बराबर बराबर हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त है। उक्त आराजी पर पर्चा सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी का पिता कब्जा काश्त था तथा उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थी काबिज काश्त है। लेकिन उक्त आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में नही हैं जिसको नाम लगवाने हेतु प्रार्थी अप्रार्थी को कई बार कहता रहा है लेकिन अप्रार्थी ने नाम नही लगवायी एवं दिनांक 7.8.2011 को नाम लगवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी नाम लगवाने से साफ इन्कार कर दिया

Scanned by CamScanner

तथा लडाई झगडा करने लग गया एवं दिगर व्यक्ति को बैचान की धमकी दी। प्रार्थी सम्वत 2011 से अपने पिता के नाम से पीढी दर पीढी लगभग 60 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। इस आधार पर प्रार्थी राज. टी. एक्ट की धारा 63 (1) (4) के तहत कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी अगर किसी दिगर व्यक्ति को बैचान कर दिया तो प्रार्थी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा एवं ऐसे अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद 2 में वर्णित आराजीयात का बैचान नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथा–स्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थी के कब्जें काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करे न अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी का उक्त आराजी से किसी भी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं है न ही कभी सरकारी लगान अदा किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य नही है क्योंकि प्रार्थी ओमप्रकाश अप्रार्थी की मौसी मनभर देवी ौत्र मोतीलाल के पुत्र है जो कि ग्राम जिरोताखुर्द जिला दौसा का निवासी है इस प्रकार से प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य नहीं है। मदहाजा में प्रार्थी अपने आपको दामोदर का पुत्र बताते हुये अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक तौर पर मोतीलाल पुत्र गंगाबक्श के पुत्र है, जो कि ग्राम जिरोताखुर्द जिला दौसा के निवासी है। इस प्रकार से प्रार्थी का ग्राम मोहब्बतपुरा की आराजी से किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नही है। इस प्रकार से प्रार्थी दामोदर का पुत्र नहीं है न ही दामोदर का दत्तक पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 कैलाश के पिता के नाम सही रूप से पर्चा सम्वत 2011 मे जारी किया गया था। इस प्रकार से उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की पर्चे की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर कभी भी प्रार्थी के पिता अथवा स्वयं प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार से मदहाजा में अंकित सभी तथ्य बनावटी व निराधार रूप से प्रस्तुत किये है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना अप्रार्थी के विरुद्ध घोषणा के गलत व झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो किसी प्रकार से चलने योग्य न होकर प्रार्थी का प्रार्थना प्रथमतया ही खारीज फरमाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी दामा उर्फ स्व. दामोदर का दत्तक पुत्र है। उसको पंजीकृत गोदनामा पंजीकृत करवाने की दिनांक 20.6.1988 से 20 वर्ष पूर्व ही गोद ले लिया गया था जिससे दामोदर की चल–अचल सम्पत्ति पर उसका अधिकार है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2011–16 के अनुसार संदर्भित आराजी पर दामोदर का कब्जा है और यह कब्जा पीढी दर पीढी होने के आधार पर भी वो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थी ने इसका विरोध करते हुए कथन किया की यदि प्रार्थी दामोदर का गोदी पुत्र है तो उसका हक दामोदर की सम्पत्ति में बनता है, संदर्भित आराजी दामोदर के नाम नहीं अपितु कैलाश पुत्र गोपाल के नाम दर्ज रिकार्ड हैं एवं खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2015 में से पुत्र संवत 2015 में कालम संख्या 40 दामोदर पिरोथ अंकित है एवं संवत 2016 में दामा पुत्र नन्दाराम पारीक ग्वार 1/2 व दामा परीक बंजड 1/2 अंकित है। यह अंकन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

ओमप्रकाश का कब्जा सिद्व नहीं करता एवं संवत 2016 की गिरदावरी में टिप्पणी खरीफ दामा पुत्र नन्दाराम पारीक ग्वार 1/2 व रबी दामा पारीक बंजड 1/2 अपने आप में दामा पारीक के संवत 2016 के रबी में दामा के कब्जे के बारे में संशय एवं शेष के हिस्से पर किसका कब्जा है। उसके विषय में टिप्पणी अंकित नहीं होने के कारण गलत/त्रुटिपूर्ण अंकन होना जाहिर करता है एवंयह अंकन भी प्रार्थी ओमप्रकाश का कब्जा सिद्व नहीं करता इसलिए रा0का0अधि0 की धारा 64(1)(3) के तहत भी प्रार्थी का कोई अधिकार संदर्भित आराजी के विषय में नहीं बनता।

पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम मोहब्बतपुरा स्थित खसरा संख्या 154 रकबा 2 बीघा जो कि गत रिकोर्ड खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 अप्रार्थी के पूर्वज व वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के विषय में प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की संभावना के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाहता है परन्तु अपूर्णनीय क्षति व सुविधा के संतुलन के विषय में अपना पक्ष सिद्व करने में असफल रहा है। खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में प्राप्त अधिकारों के उपभोग करने से मात्र संभावना के आधार पर रोकना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

Scanned by CamScanner